

**प्रेस-विज्ञप्ति**  
**थाना जहानागंज**  
**तीन नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

वादी सन्तोष कुमार पुत्र स्व० रामबचन ग्रा० कड़ाकर थाना जहानागंज आजमगढ़ ने थाने पर आकर लिखित तहरीर दी की अभियुक्तगण 1-सन्जू पुत्र शोभनाथ 2-शिवपूजन पुत्र स्व० दीपा राम 3-रामकृत पुत्र राजकुमार सा० कडासर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़, मेरी गाय का पैर बाँधकर अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध बनाये। तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 189/21 धारा 377 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधि० विरुद्ध 1-सन्जू पुत्र शोभनाथ 2-शिवपूजन पुत्र स्व० दीपा राम 3-रामकृत पुत्र राजकुमार सा० कडासर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 31.08.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन में व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मु०अ०स० 189/2021 धारा 377 भादवि व 11 पशु क्रूरता नि०अधि० से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1-सन्जू पुत्र शोभनाथ 2- शिवपूजन पुत्र स्व० दीपा राम 3-रामकृत पुत्र राजकुमार निवासीगण कड़ासर थाना जहानागंज आजमगढ़ को सुहवल चट्टी से समय करीब 11.05 बजे गिरफ्तार किया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**पंजीकृत अभियोग:-**

मु०अ०स०-189/2021 धारा 377 भादवि व 11 पशु क्रूरता नि०अधि०

**गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

- 1-सन्जू पुत्र शोभनाथ
- 2- शिवपूजन पुत्र स्व० दीपा राम
- 3-रामकृत पुत्र राजकुमार निवासीगण कड़ासर थाना जहानागंज आजमगढ़

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-**

- 1- प्र०नि० अखिलेश कुमार मिश्र
- 2- का० विपिन पाण्डेय
- 3- का० पंकज सिंह
- 4- म०का० प्रियंका पाण्डेय

**थाना- गम्भीरपुर**

**01 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में प्र०नि० ज्ञानूप्रिया मय हमराह के मुखबीर

की सूचना पर यूनियन बैंक के पास पीपल के पेड के पास बहद ग्राम मोहम्मदपुर से एक नफर अभियुक्त सिकन्दर चौहान S/O गोबरी चौहान निवासी ग्राम मुहम्मदपुर मडैया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ को एक किलो तीन सौ ग्राम नाजायज गाजा के साथ समय करीब 10.50 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**पंजीकृत अभियोग-**

मु0अ0सं0 186/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट

**गिरफ्तार अभियुक्त –**

सिकन्दर चौहान S/O गोबरी चौहान निवासी ग्राम मुहम्मदपुर मडैया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ

**बरामदगी-**

एक किलो तीन सौ ग्राम गाजा नाजायज

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

प्र0नि0 श्रीमती ज्ञानूप्रिया व उ0 नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल व का0 विजय कुमार व का अनूप रावत